

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING "बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR आय-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

> कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST) मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

Tele: 022-25752040/1/2/3
Fax: 022 - 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

F. No. SD-9/CHART(82)/97-V

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022 - 25752029 / 35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

Dated: 07.08.2017

Shipping Development Circular No. 01 of 2017

<u>Sub.: Amendments to guidelines for grant of licence to Foreign Flag vessels issued vide SD Circular No. 02 of 2002 dated 08.11.2002.</u>

The guidelines for grant of licence to Foreign Flag vessels were issued by the Directorate vide SD Circular No. 02 of 2002 dated November, 08, 2002 [F. No.SD-9/CHART(82)/97-II] under the provisions Sub-Section (3) of Section 406 and sub-section (2) of Section 407 of the Merchant Shipping Act, 1958.

- 2. WHEREAS, a need has been felt to, review the aforesaid circular, keeping in view of the Govt's policy of strengthening and promoting the Indian shipping in a competitive framework.
- 3. NOW THEREFORE, the Directorate General of Shipping in pursuance of the powers conferred on him in respect of the provisions of Sub-Section (3) of Section 406 and subsection (2) of Section 407 of the Merchant Shipping, Act, 1958, makes the following amendment to the said SD Circular No. 02 of 2002.
- 3.1. In the Sub Para 4.4 of Paragraph 4 of the said circular clause (f) shall be added, as follows;
- (f) "The vessel needs to continue to be Indian flag vessel at all times from the date of opening of tender till the end of the contract period to avail the benefits of RoFR failing which the contract awarded to it shall be withdrawn".
- 4. The above amendment to the said circular will come into force from the date of issue of this circular.
- 5. This issue with the approval of the Director General of Shipping & Special Secretary to the Government of India.

Ash Mohomad)

Deputy Director General of Shipping-in-charge [SD]

To,

- 1. All India's stakeholders/All Charteres/Shippers/All Indian Shipping Companies, through the official website of the DGS, Gol.
- 2. INSA/ICSSA/FOSMA/MASSA, Mumbai.

Copy forwarded for an information to the;

- 1. Secretary to the Gol, Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi.
- 2. DGS/Additional DGS/PO, MMD, Mumbai/Dy. NA/CS/CSS, Gol.
- 3. Hindi version follows.



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING "बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR आय-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST) मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042 Tele: 022-25752040/1/2/3
Fax: 022 - 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

दिनांक : 07.08.2017

फा.सं.एस.डी.-9/चार्ट(82)/97-V

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022 - 25752029 / 35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेबः www.dgshipping.gov.in

नौवहन विकास परिपत्र संख्या 01/2017

विषय:- दिनांक 08.11.2002 के नौवहन विकास परिपत्र संख्या 02/2002 के माध्यम से जारी, विदेशी ध्वज जलयानों को लाइसेंस दिए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धातों में संशोधन।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 08 नवम्वर 2002 के नौवहन विकास परिपत्र संख्या 02/2002 [फा.सं.एस.डी.-9/चार्ट(82)/97-II] के माध्यम से निदेशालय द्वारा विदेशी ध्वज जलयानों को लाइसेंस दिए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे।

- 2. जबिक, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक प्रतियोगी फ्रेमवर्क में भारतीय नौवहन को सशक्त करने और इसका संवर्धन करने संबंधी सरकार की नीति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वीक्त परिपत्र की समीक्षा की जाए।
- 3. इसलिए अब, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (2) के प्रावधानों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नौवहन महानिदेशक द्वारा नौवहन विकास परिपत्र संख्या 02/2002 मे निम्नोक्त संशोधन किया जाता है।
- 3.1. उक्त परिपत्र के परिछेद 4 के उप परिछेद 4.4 में निम्नोक्त रूप से खण्ड (एफ) जोड़ा जाएगा। (एफ) "पहले इनकार करने के लाओं को प्राप्त करने के लिए निविदा खुलने की तारीख से लेकर संविदा समापन होने की तारीख तक जलयान निरंतर रूप से भारतीय ध्वज जलयान के रूप में रहे ऐसा न होने पर दिया गया संविदा वापस ले लिया जाएगा"।
- 4. उक्त परिपत्र का उपर्युक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के अन्मोदन से जारी किया जाता है।

(आश मोहम्मद)

उप नौवहन महानिदेशक-प्रभारी [एसडी]

सेवा में,

- 1. भारत के सभी हितधारी/सभी चार्टरकर्ता/शिपर्स/भारत की सभी नौवहन कंपनियों को नौमनि, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से।
- 2. इन्सा/इक्सा/फोस्मा/मासा, मुंबई। सचनार्थ प्रतिलिपि अग्रेषित
- 1. सचिव, भारत सरकार,पोत परिवहन मत्रांलय,परिवहन भवन,नई दिल्ली।
- 2. नौमनि/अपर नौमनि/प्रअ,सवावि,मुबंई/उपनौस/मुस/मुपोस,भारत सरकार।